केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

छात्रावास नियमावली

केंद्रीय हिंदी संस्थान- एक अवलोकन

केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसके दिल्ली, हैदराबाद, मैसुरू, शिलांग, दीमापुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में कुल आठ क्षेत्रीय केंद्र हैं। संस्थान का मुख्य कार्य, हिंदी भाषा से संबंधित, शैक्षणिक कार्यक्रम चलाना, शोध कार्य संपन्न करना एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाना है। यह संस्थान भारत में एकमात्र सरकारी संस्थान है, जो केवल विदेशी और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के शोध और शिक्षण के लिए स्थापित है। 19 मार्च, 1960 को भारत के शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय हिंदी शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदी के प्रचार-प्रसार-विकास के युग-पुरुष मोटूरि सत्यनारायण थे। सन् 1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया गया, जो प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता है-

- हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों का विकास।
- भारत के हिंदीतर राज्यों एवं विश्व के अन्य देशों को हिंदी का प्रशिक्षण देना।
- हिंदीतर क्षेत्रों के हिंदी अध्यापकों का प्रशिक्षण।
- हिंदी भाषा और साहित्य का उच्चतर अध्ययन।
- हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन।
- हिंदी का अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकास और प्रचार-प्रसार।

संस्थान के आगरा मुख्यालय में वर्तमान 7 अकादमिक विभाग स्थापित हैं, जो निम्न हैं -

अध्यापक शिक्षा विभाग, अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग, अनुसंधान एवं भाषा-विकास विभाग, नवीकरण एवं भाषा-प्रसार विभाग, सांध्यकालीन विभाग, सूचना एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग और पूर्वोत्तर शिक्षण-सामग्री निर्माण विभाग।

I. शिक्षक-प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम में अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा हिंदीतरभाषी क्षेत्रों के सेवारत हिंदी शिक्षकों और सेवापूर्व हिंदी सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मुख्यालय में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ये पाठ्यक्रम निम्न हैं-

(क) द्विवर्षीय हिंदी शिक्षण निष्णात (एम.एड.) सेमेस्टर प्रणाली

(ख) द्विवर्षीय हिंदी शिक्षण पारंगत (बी.एड.) सेमेस्टर प्रणाली

(ग) द्विवर्षीय हिंदी शिक्षण प्रवीण (डी.ईएल.एड.) वार्षिक प्रणाली

II. संस्थान के शिक्षण संबंधित कार्यक्रम में भारत सरकार की (विदेशों में) हिंदी प्रचार-प्रसार योजना एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत चुने गए विदेशी छात्रों के लिए मुख्यालय आगरा और दिल्ली केंद्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम निम्न हैं-

(क) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण-पत्र – 100

(ख) हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा - 200

(ग) हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा- 300

(घ) स्नातकोत्तर हिंदी डिप्लोमा - 400

यह पाठ्यक्रम स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से श्रीलंका में भी संचालित किए जाते हैं। संस्थान मुख्यालय आगरा एवं दिल्ली केंद्र पर प्रतिवर्ष विश्व के लगभग 25 से 30 विभिन्न देशों के लगभग 150 से अधिक विद्यार्थी केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी सीखने आते हैं।

अनुसंधान मूलक कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान, हिंदी शिक्षण, हिंदी भाषा और साहित्य, भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, शोध क्षेत्रों में निरंतर अग्रसर हो रहा हैं।

केंद्रीय हिंदी संस्थान में शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान के अलावा, हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए केंद्रों द्वारा नवीकरण, हिंदी भाषा संवर्धनात्मक एवं हिंदी भाषा संचेतना शिविर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक, कोश और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए हिंदी-शिक्षण के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण भी किया जाता है।

प्रकाशन

संस्थान द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य**,** भाषाविज्ञान अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन**,** भाषा एवं साहित्य शिक्षण, कोशविज्ञान आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। संस्थान द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है।

- **गवेषणा** – भाषाविज्ञान की त्रैमासिक शोध-पत्रिका
- **प्रवासी जगत** – प्रवासी जगत का साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति केंद्रित त्रैमासिक शोध पत्रिका
- **भावक** - हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय स्तर की त्रैमासिक शोध पत्रिका
- **शैक्षिक उन्मेष** - शिक्षा से जुड़े सरोकारों की प्रमुख राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका
- **संवाद पथ** – हिंदी जनसंचार एवं पत्रकारिता केंद्रित पत्रिका
- **समन्वय पश्चिम**– पश्चिम भारत की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संबंधी चिंतन पर केंद्रित पत्रिका
- **समन्वय पूर्वोत्तर-** पूर्वोत्तर की भाषा-साहित्य पर केंद्रित त्रैमासिक शोध पत्रिका

- **समन्वय दक्षिण**- भारत के दक्षिण भारतीय भाषा – साहित्य पर आधारित त्रैमासिक शोध पत्रिका

पुस्तकालय

संस्थान का पुस्तकालय भाषाविज्ञान, हिंदी साहित्य, शिक्षाशास्त्र और भाषा-शिक्षण के विभिन्न विषयों की पुस्तकों के संग्रह की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक हैं। इसमें 1,00,000 से अधिक पुस्तकें और 2100 से अधिक पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं।

संस्थान एवं छात्रावास प्रशासन

प्रो. हरि शंकर	निदेशक
डॉ. जोगेंद्र सिंह मीणा	कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)
प्रो. सपना गुप्ता	कुलानुशासक
डॉ. सरोज राय	वार्डन, स्वदेशी महिला छात्रावास
डॉ. दीपा मणि बरुवा	वार्डन, अंतरराष्ट्रीय महिला छात्रावास
डॉ. अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी	वार्डन, स्वदेशी पुरुष छात्रावास
डॉ. पुरुषोत्तम पाटील	वार्डन, अंतरराष्ट्रीय पुरुष छात्रावास

छात्रावास

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के खंदारी क्षेत्र में स्थित है। छात्रों के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान के परिसर में ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान में प्रवेशित छात्र एवं छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में वर्तमान में चार छात्रावास हैं-

1. मोटूरि सत्य नारायण स्वदेशी पुरुष छात्रावास
2. प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय पुरुष छात्रावास
3. महादेवी वर्मा अंतरराष्ट्रीय महिला छात्रावास
4. सुभद्राकुमारी चौहान स्वदेशी महिला छात्रावास

1. महादेवी वर्मा अंतरराष्ट्रीय महिला छात्रावास

यह छात्रावास अंतरराष्ट्रीय महिला विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें 100 से अधिक छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। तीन मंज़िला यह छात्रावास भवन छात्राओं को आरामदायक और सुव्यवस्थित आवास सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक कमरे में आवश्यक फर्नीचर जैसे बिस्तर, गद्दा, मेज, कुर्सी और अलमारी की व्यवस्था है, साथ ही संलग्न शौचालय और स्नानघर भी उपलब्ध हैं। कमरों का आवंटन साझा स्वरूप (एक कक्ष में दो) में किया जाता है। छात्रावास में 24 घंटे सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध हैं। छात्राओं के लिए अलग से मेस और रसोईघर की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन और व्यायाम संबंधी सुविधाओं के लिए टीवी कक्ष, योग कक्ष एवं वाई-फाई की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहती है। छात्राओं के लिए अलग से एक ओपन जिम भी है, जिसमें विभिन्न अत्याधुनिक व्यायाम मशीनें लगी हुई हैं।

छात्रावास में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

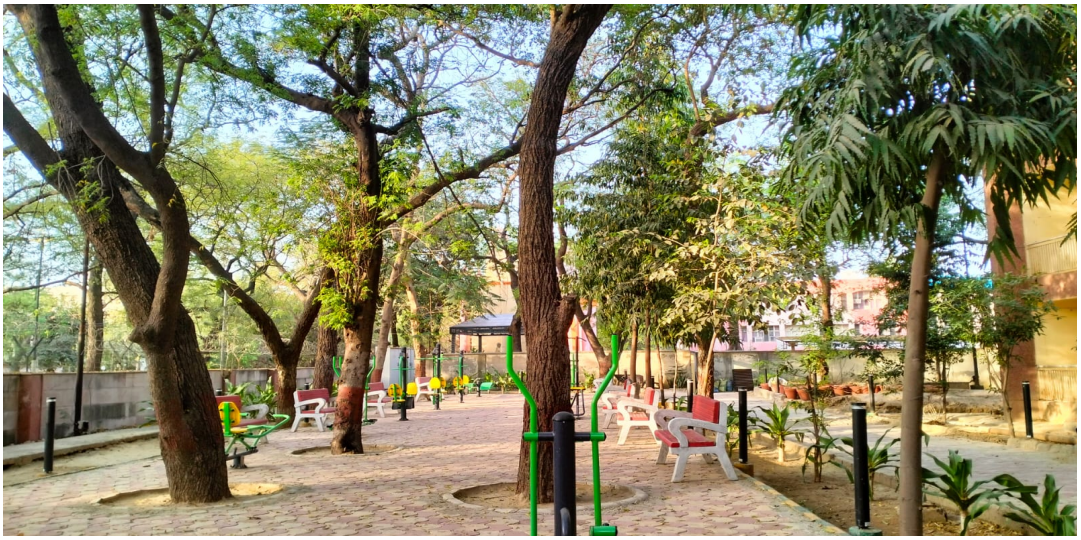

ओपन जिम

2. **सुभद्रा कुमारी चौहान स्वदेशी महिला छात्रावास-** यह छात्रावास राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए है, जिसमें 100 से अधिक छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। इस तीन मंजिला छात्रावास में मेस व्यवस्था, ओपन जिम और चिकित्सा सुविधाएँ भी हैं। छात्राओं को साझा स्वरूप में कमरे आवंटित किए जाते हैं।

3. **मोटूरी सत्यनारायण स्वदेशी छात्रावास-** यह तीन मंजिला छात्रावास स्वदेशी पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए है। जिसमें लगभग 80 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक कमरा साझा स्वरूप में आवंटित किया जाता है। प्रत्येक तल पर साझा शौचालयों एवं स्नानागार की व्यवस्था है। छात्रावास के साथ स्वतंत्र मेस व्यवस्था, ओपन जिम, इनडोर खेल, मनोरंजन कक्ष, खेलकूद मैदान एवं चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

4. **प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय पुरूष छात्रावास-** छात्रावास का तीन मंजिला भवन है, जिसमें लगभग 90 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक कमरा दो छात्रों को साझा रूप में आवंटित किया जाता है। प्रत्येक तल पर साझा शौचालयों एवं स्नानागार की व्यवस्था है। छात्रावास से बाहर जाने एवं लौटने के समय का पालन सभी के लिए अनिवार्य है।

छात्रावास नियमावली

शिक्षण संस्थान का छात्रावास छात्रों के लिए घर जैसा होता है, जो एक समरूप और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, जो प्रेरणादायक और शैक्षिक माहौल के लिए अनुकूल होता है। सभी विद्यार्थियों को छात्रावास के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि सहयोगात्मक, सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहे। सभी छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रावास में उनका व्यवहार किसी भी तरह से अन्य छात्रों की शांति, पढ़ाई या आराम में बाधा न डाले।

प्रवेश/आवेदन प्रक्रिया

पात्रता: छात्रावास में प्रवेश हेतु सभी नियमित विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र छात्रावास कार्यालय से लेकर कार्यालय में ही भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थी एवं नवीकरण के विद्यार्थी छात्रावास के पात्र होंगे।

प्रवेश: प्रवेश निश्चित होने के उपरांत छात्रावास द्वारा दिए गए प्रारूप को सभी आवश्यक सूचनाओं को भली-भाँति भरने के उपरांत निम्नलिखित अनुलंग्नकों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा-

(1) परिचय-पत्र (2) आधार कार्ड की छाया प्रति या पासपोर्ट एवं वीजा की छाया प्रति (3) दो फोटो (पासपोर्ट साइज) (4) प्रवेश-शुल्क की रसीद (5) स्थानीय अभिभावकों (यदि हो, तो उसके आधार कार्ड की छाया प्रति, फोटो एवं परिचय-पत्र)

कमरों का आवंटन: प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निम्न विवरणानुसार कमरे आवंटित किए जाएंगे-

- भूतल एवं प्रथम तल– द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए
- द्वितीय एवं तृतीय तल- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए
- सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए (भूतल पर)

*विशिष्ट/आपातकालीन परिस्थिति में कमरा बदलने का अधिकार वार्डन का होगा, जिसमें कुलानुशासक एवं कुलसचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

अग्रिम शुल्क: छात्रावास शुल्क और मेस (Mess) सुरक्षा राशि का भुगतान आवंटन से पहले करना होगा। प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ आए परिजनों अथवा संबंधियों को छात्रावास के कमरों में साथ रखने की अनुमति नहीं होगी।

ठहरने की अवधि

i. रहने की अवधि पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण की तिथि से गिनी जाएगी और पाठ्यक्रम पूरा होने तक मान्य रहेगी।
ii. एक पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद विद्यार्थियों को छात्रावास में नया प्रवेश लेना होगा।
iii. वर्तमान कार्यक्रम की परीक्षा उपरांत विद्यार्थियों को एक सप्ताह के भीतर छात्रावास खाली करना अनिवार्य होगा।
iv. अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह के उपरांत एक सप्ताह के भीतर छात्रावास छोड़ना अनिवार्य होगा।

मेस और भोजन व्यवस्था

छात्रावास में उपलब्ध मेस सुविधा का उपयोग निर्धारित समय पर किया जाएगा।

सुबह का जलपान – सुबह 8.00 से 9.00 बजे तक।

दोपहर का भोजन – दोपहर 1.00 से 2.30 बजे तक।

रात्रि का भोजन - रात्रि 8.00 से 9.30 बजे तक।

- भोजन मेस के भोजन कक्ष में ही करना अनिवार्य है। थाली में खाना कमरों में ले जाकर खाना प्रतिबंधित होगा।
- जितनी आवश्यकता हो भोजन उतना ही लें। 'इतना ही लें थाली में, फेका न जाए नाली में।'
- मेस के नियमों का पालन करना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा।
- मेस शुल्क प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के समय विद्यार्थियों को एक माह का मेस शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

आगंतुक मिलने/रहने हेतु नियमावली

- छात्रों को आगंतुकों से मिलने के लिए वार्डन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- आगंतुकों का प्रवेश केवल निर्धारित समय में ही होगा, जो सुबह 8 से रात 8 बजे तक निर्धारित है।
- आगंतुकों को प्रवेश रजिस्टर में अपना नाम, पता, समय और आधार क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- बाहरी डिलीवरी सेवाएँ (जैसे ऑनलाइन फूड, सामान आदि) केवल निर्धारित समय पर ही छात्रावास गेट पर प्राप्त की जा सकेंगी, जो सुबह 8 से रात 9 बजे तक निर्धारित है।

छात्रावास अनुशासन

केंद्रीय हिंदी संस्थान के परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास के निम्नलिखित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। छात्रावास के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले छात्रों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

1. छात्रावास परिसर में धूम्रपान, शराब, नशीले पदार्थ, तंबाकू, पान-मसाले का सेवन तथा आपत्तिजनक गतिविधियाँ जैसे जुआ खेलना आदि तथा किसी भी प्रकार के हथियार रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
2. छात्रावास में कीमती सामान की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। गुम होने या चोरी की स्थिति में छात्रावास अथवा संस्थान प्रशासन को तुरंत लिखित सूचना देनी होगी।
3. छात्रावास में हीटर अथवा गैस सिलिंडर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसा पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. बिजली, पानी एवं छात्रावास की अन्य सामग्री का दुरुपयोग न करें। गीजर का उपयोग होने के बाद तत्काल उसका स्विच ऑफ कर दें।
5. विद्यार्थी आवश्यकतानुसार ट्यूबलाइट और पंखे का उपयोग करेंगे। कमरा छोड़ने से पूर्व ट्यूबलाइट एवं पंखे का स्विच ऑफ करेंगे।
6. छात्रावास में विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावक/परिजन या किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने कमरे में रखना पूर्णतः निषेध है। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. किसी छात्र/छात्रा के अभिभावक/परिजन को किसी भी स्थिति में छात्रावास में ठहरने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, उनको अपने रुकने की व्यवस्था निजी स्तर पर करनी होगी, इस हेतु संस्थान प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
8. आगरा से बाहर जाने के लिए छात्रों को विभागाध्यक्ष और वार्डन से 5 दिन पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। अवकाश के दिनों में विभागाध्यक्ष, वार्डन, कुलानुशासक एवं विशेष परिस्थिति में कुलसचिव के हस्ताक्षर 5 दिन पूर्व करवाना अनिवार्य होगा।
9. वार्डन एवं छात्रावास सहायक को समय-समय पर छात्रावास के कमरों का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. छात्रावास में रात्रि 09:00 से 10:00 बजे तक विद्यार्थियों की उपस्थिति उनके कक्ष में छात्र परिचारक/परिचारिका द्वारा ली जाएगी। सभी निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। उपस्थिति दर्ज न होने की स्थिति में विद्यार्थी को छात्रावास से अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

11. छात्रावास की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदगी न फैलाएँ। पान और पान मसाले की पीक दीवारों, कोनों और फर्श पर न थूकें। ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
12. छात्रावास से बाहर आने-जाने का निर्धारित समय सायं 05.00 बजे से 07:30 तक है। किसी कारणवश कक्षाएँ न होने की स्थिति में भी बाहर जाने का यही समय निर्धारित रहेगा। शीतकालीन दिवसों में सायं 7:00 तथा अन्य दिवसों में सायं 7:30 तक यदि कोई विद्यार्थी वापस नहीं आता/आती है, तो उसे प्रत्येक दशा में वार्डन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा।
13. विद्यार्थियों को आवंटित किए गए कक्ष के अंदरूनी रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। कक्ष छोड़ते समय कमरे में किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा दीवारों के गंदे होने की स्थिति में इसके सुधार एवं रख-रखाव की राशि संबंधित विद्यार्थी से वसूली जाएगी।
14. विद्यार्थियों द्वारा आपस में किसी भी प्रकार की मारपीट, झगड़ा, वाद-विवाद की स्थिति या शरीरिक हिंसा करना सख्त वर्जित होगा। ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा उनके प्रवेश को निरस्त करने की भी अनुशंसा की जा सकती है।
15. संस्थान में विदेशी छात्रावास में महिला डॉक्टर सुबह 09:00 से 10:00 बजे तक एवं गांधी भवन के प्रथम तल पर पुरूष डॉक्टर दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे।
16. छात्रावास प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. यदि किसी विद्यार्थी के स्थानीय अभिभावक हैं, तो उन विद्यार्थियों को अपने प्रवेश के समय अपने पिता-माता से सत्यापित आवेदन-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्वयं को हस्ताक्षर सहित स्थानीय अभिभावक का नाम, फोटो, मोबाइल नं. आधार कार्ड एवं परिचय-पत्र आदि की जानकारी हो।
18. कमरों में रख-रखाव संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इसकी लिखित सूचना छात्रावास कार्यालय में रखे रजिस्टर में दर्ज करेनी होगी।
19. छात्रावास में विद्यार्थी के बीमार होने/आपातकालीन स्थिति में तत्काल छात्रावास सहायक/वार्डन को सूचित करना आवश्यक होगा।

20. अचानक तबियत खराब होने पर छात्र/छात्रा अपना उपचार वार्डन की अनुमति अथवा फोन से सूचित कर संस्थान द्वारा अधिकृत डॉक्टर द्वारा रेफर करने पर सरकारी अस्पताल में ही करवाएंगे, जिसकी सूचना ससमय निदेशक को भी देना अनिवार्य है। संस्थान द्वारा आँख और दाँत से संबंधित छोड़कर अन्य रोगों हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। उपचार के उपरांत संस्थान के नियमों के अनुसार ही छात्र को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाएगी। बिना सूचना अथवा अन्य जगह उपचार कराने पर विद्यार्थी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी तथा उपचार हेतु खर्च की गई धनराशि को किसी भी दशा में संस्थान भुगतान पर विचार नहीं करेगा।
21. संस्थान परिसर एवं छात्रावास परिसर में विद्यार्थियों से शालीन पोशाक पहनना अपेक्षित है।
22. विद्यार्थी पाँच या पाँच दिन से अधिक शहर से बाहर जाने की पूर्व लिखित अनुमति होने पर ही अनुपस्थित दिनों के भोजनालय बिल का भुगतान विद्यार्थी को नहीं करना होगा।
23. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को मेस में ही भोजन अनिवार्य होगा तथा निर्धारित समय पर ही भोजन करना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी को स्वयं खाना बनाने की अनुमति नहीं है।
24. छात्रावास से संबंधित मामलों में संस्थान के निदेशक ही अंतिम प्राधिकारी होंगे।

अद्यतन /संशोधन अधिकार

संस्थान को इस नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं बदलाव करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना सभी छात्रों को दी जाएगी।

आपातकालीन संपर्क

1. कुलसचिव	–	7060185343
2. कुलानुशासक	–	9917566922
3. वार्डन कार्यालय - स्वदेशी पुरुष / महिला	-	9468839229 / 7063876259
4. वार्डन कार्यालय- विदेशी पुरुष / महिला	-	9326203277 / 9407012762
5. सुरक्षा कार्यालय	-	9897821828
6. स्थानीय पुलिस	–	112
7. एम्बुलेंस	-	108

शपथ-पत्र

मैं श्री/कु/श्रीमती/ .....

पुत्र/पुत्री/पति श्री .....

घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने संस्थान के छात्रावास नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं पूर्णरूप से आश्वासन देता/देती हूँ कि छात्रावास नियमों का पूरी तरह पालन करूँगा/करूँगी। उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करने अथवा उल्लंघन होने पर संस्थान द्वारा मुझे छात्रावास से निष्कासित कर अपने देश/प्रांत वापस भेजा जा सकता है। उक्त नियमों की एक प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की।

स्थायी पता (पिन कोड सहित) .....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर .....

विद्यार्थी का नाम .....

विद्यार्थी की कक्षा .....

विद्यार्थी का मोबाइल नं. .....

स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता (यदि है तो) .....

मोबाइल न. स्थानीय/घर.....

दिनांक .....

वार्डन **कुलानुशासक**